जे.पी. सिंघल
J. P. Singhal

कुलपति
Vice-Chancellor

Phone: (O) 0141-2707863
0141-2710465
Fax: 0141-2711799
E-mail: vc@uniraj.ernet.in
vcuorj@gmail.com

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
University of Rajasthan, Jaipur
J.L.N. Marg, Jaipur-302004, Rajasthan, INDIA

वीसीएस/2015/1291-1399
सितम्बर 30, 2015

–समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
–समस्त निदेशक, केन्द्र/इकाई, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
–समस्त, प्राचार्य, संघटक महाविद्यालय, राजस्थान विश्दतिधालय, जयपुर
–अधिष्ठाता, छात्र कल्याण/मुख्य आवासाधिकारी/मुख्य कुलानुशासक
–कुलसचिव/वित्त नियन्त्रक एवं वित्तीय सलाहकार/परीक्षा नियन्त्रक
–समस्त उपकुलसचिव/ए.एल.आर./सहायक कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय

प्रिय महोदय/महोदया,

माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति, राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा पत्र दिनांक 29 सितम्बर, 2015 के माध्यम से निम्न निर्देश प्राप्त हुए हैं :–

"राजकीय विश्वविद्यालयों की सामान्य समीक्षा में यह प्रकाश में आया है कि विभिन्न न्यायालयों में भारी संख्या में वाद लम्बित हैं । यह एक गंभीर समस्या है और इस पर दो दृष्टिकोण से ध्यानाकर्षण अपेक्षित है । प्रथम तो देखा जाये कि इतनी संख्या में वाद न्यायालय में संस्थित क्यों हो रहे हैं ? मेरा यह अनुभव रहा है कि तमाम छोटे–छोटे कारण जिन पर ससमय ध्यान नहीं दिया जा सका है अथवा जिनकी सामान्य तौर पर उपेक्षा कर दी गई है ऐसे मामलों को लेकर भी कर्मचारियों, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को न्यायालय की शरण में जाना पडा है । यदि ऐसे मामलों पर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा ध्यान दे दिया जाता, Application of mind कर न्यायोचित निस्तारण कर दिया जाता तो संभवतः न्यायिक प्रक्रियाओं में उलझने की स्थिति से बचा जा सकता है । न्यायिक प्रक्रिया की परिधि में आने से जहॉ रचनात्मक ऊर्जा का क्षय होता है वहीं समय की बर्बादी व धन का अपव्यय होता है परिणामतः अतिरक्ति बोझ विश्वविद्यालय प्रशासन पर पड़ता है । अतः मैं चाहूंगा कि विश्वविद्यालय प्रशासन भविष्य में ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए सतर्कता बरतें और System Develop करें ।

ध्यानाकर्षण का दूसरा बिन्दु वादों की पैरवी से संबन्धित है । न्यायालयों में वाद लम्बित होने के बाद समुचित प्रभावी पैरवी न होने से एक–पक्षीय आदेश जारी हो जाते हैं । उन एक–पक्षीय आदेशें को अपास्त कराने के प्रयास नहीं किये जाते । परिणामस्वरूप विश्वविद्यालय का पक्ष न्यायालय में नहीं आ पाता है और उसका लाभ दूसरा पक्ष उठाता रहता है । अलावा इसके, समय से निर्धारित अवधि में Counter Affidavit दाखिल किये जाने के लिए एक व्यवस्था बनाई जानी चाहिऐ । इस बात पर भी विशेष ध्यान रखा जाये कि विभिन्न माननीय न्यायालयों के पारित आदेशों की अनुपालना में विलम्ब व शिथिलता न बरती जाये । न्यायालय अवमानना के मामले गंभीर चिन्ता का विषय है । न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों की गुणावगुण के आधार पर परीक्षण कराकर जहॉ आवश्यक हो ऊपर के न्यायालयों में अपील दायर करने में शीघ्रता एवं सतर्कता बरती जाये ।

न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग एवं सम्मान विश्वविद्यालय प्रशासन का मूल मंत्र होना चाहिए । इसे सुनिश्चित करने के लिए राजभवन द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों को गंभीरता से लिया जाये ।''

आपसे आग्रह है कि अपने स्तर पर होने वाली कार्य–प्रणाली में माननीय कुलाधिपति महोदय के उपरोक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करते हुए त्वरित कार्यवाही की जावे ।

भवदीय,

(जे.पी. सिंघल)